उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(विधि शाखा)

विविध अपील (Miscellaneous Appeal)वाद सं0 :–102 / **2023–24**

कौशल्या देवी
बनाम
बसंती कुमारी वगै0

07.06.24

1. अपीलार्थी 1. कौशल्या देवी पति–स्व0 धनंजय रौतिया ग्राम–चैनपुर थाना–चैनपुर जिला–गुमला के द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार चैनपुर विविध वाद सं0–26 / 2023–24 दिनांक–07.10.2023 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर रिवीजन दायर किया गया है।

अपीलार्थी के Miscellaneous Appeal पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया।

2. अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है भूमि सुधार उप समाहर्त्ता चैनपुर के द्वारा विविध वाद सं0--26–2023–24 में दिनांक–07.10.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध लाया गया है जिसमें उत्तरवादीगण के नाम पर खाता सं0–146, 147 एवं 148 कुल रकबा–20.75 एकड़ भूमि का एक तिहाई भूमि का नामांतरण का आदेश बिना किसी आधार के किया गया है। प्रश्नगत भूमि खाता सं0–146,147 एवं 148 कुल रकबा--20.75 एकड़ भूमि ग्राम–चैनपुर थाना–चैनपुर जिला–गुमला में अवस्थित है।

3. प्रश्नगत भूमि का खतियान रिवीजन सर्वे में लेदु रौतिया के नाम पर बना है। खतियानी रैयत लेदु रौतिया का वंशावली निम्न प्रकार है:–

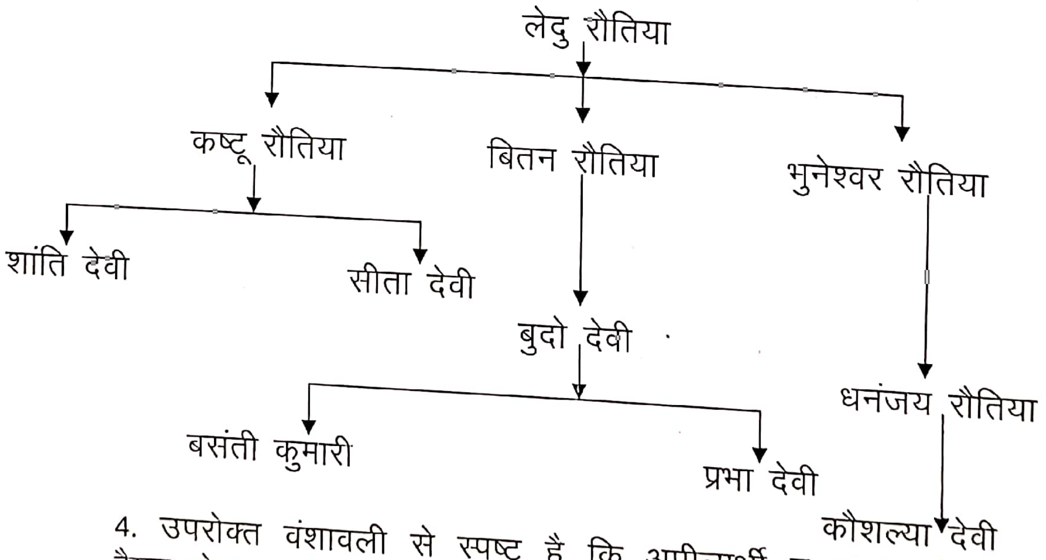

4. उपरोक्त वंशावली से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व उत्तरवादीगण खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी है। बितन रौतिया की पत्नी बुंदो देवी द्वारा बिना किसी बंटवारा के प्रश्नगत भूमि में से एक तिहाई भूमि के नामांतरण हेतु वर्ष–1985 में अंचल अधिकारी चैनपुर के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया जिसका विविध वाद सं0–01 / 1985--86 पड़ा और उक्त वाद में बुंदो देवी के नाम पर बिना

किसी आधार के एक तिहाई भूमि का नामांतरण करने का आदेश दिनांक–17.05.1985 को पारित किया गया। उक्त नामांतरण आदेश के विरुद्ध कसटू रौतिया एवं भुनेश्वर रौतिया द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के न्यायालय में अपील दायर किया, जिसका रेभेन्यू अपील वाद सं0–33/1986 पड़ा। रेभेन्यू अपील वाद सं0–33/1986 में अंचल अधिकारी चैनपुर द्वारा पारित आदेश को दिनांक–30.06.1986 निरस्त करते हुए अपील स्वीकृत किया गया।

5. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला द्वारा पारित आदेश के आलोक में बुंदो देवी द्वारा सब जज–IV गुमला के न्यायालय में प्रश्नगत भूमि के बंटवारा हेतु बंटवारा वाद सं0–23/1987 दायर किया गया और उक्त वाद में बुंदो
15/1991
देवी द्वारा पेरवी करना छोड़ दिये जाने के कारण वाद दिनांक–04.10.1991 के द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध बुंदो देवी द्वारा न तो कोई अपील दायर की गई न ही उक्त वाद को पुनर्जीवित करने हेतु कोई आवेदन दाखिल नही किया गया, इसलिए उनकी पुत्रियों के नाम पर एक तिहाई भूमि के नामांतरण का आदेश बिल्कुल गलत है।

6. प्रश्नगत भूमि पर लगभग 30 वर्षो के बाद बुंदो देवी की पुत्रियों द्वारा पुनः अपने नाम से नामांतरण हेतु आवेदन अंचल अधिकारी, चैनपुर के न्यायालय में दायर किया और भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चैनपुर को अग्रसारित कर दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चैनपुर द्वारा नामांतरण वाद सं0–01/1985–86 में पारित आदेश के आलोक में बुंदो देवी के नाम पर एक तिहाई भूमि का नामांतरण करने का निर्देश दिया गया, जबकि नामांतरण वाद सं0–01/1985–86 में पारित आदेश को तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला द्वारा रेभेन्यू अपील वाद सं0–33/1986 निरस्त किया जा चुका था और उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील या रिवीजन बुंदो देवी द्वारा नही किया गया है। अपील वाद का आदेश बुंदो देवी के वारिसों व निम्न न्यायालय पर बाध्यकारी है।

7. Bihar Tenant Holdings (Maintenance of Records) Act. 1973 के अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अपीलीय न्यायालय है और उनके द्वारा अंचल अधिकारी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्वंय आदेश पारित नही किया जा सकता है। उत्तरवादीगण द्वारा बंटवारा से संबंधित कोई भी दस्तावेज निम्न न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किये है, इसके बावजूद बिना किसी आधार के अस्पष्ट रुप से बिना किसी भूमि को स्पष्ट किये एक तिहाई भूमि का नामांतरण करने का आदेश पारित किया गया है, जो पूर्णतः विधि के विरुद्ध है। उत्तरवादीगण का यह कथन कि उपायुक्त गुमला के आदेश पर निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, परन्तु निम्न न्यायालय के आदेश के पहले पंक्ति से ही स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी चैनपुर के द्वारा विविध वाद सं0–26/2023 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता चैनपुर को अग्रसारित किया गया है न कि उपायुक्त गुमला के आदेश से वाद प्रारंभ किया गया है।

8. उत्तरवादीगण का यह कथन कि अपीलार्थी द्वारा पुरी भूमि का नामांतरण दाखिल खारिज वाद सं0–145R27/2006–07 द्वारा करा लिया गया है। नामांतरण आदेश के विरुद्ध उत्तरवादीगण के द्वारा कोई अपील नही किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण वाद सं0–01/1985–86 में पारित को अपीलीय न्यायालय द्वारा रेभेन्यू अपील वाद सं0–33/1986 में निरस्त किया जा चुका है।

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा अपने दावे के समर्थन निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

1. राजस्व अपील वाद सं0–33/86 में पारित आदेश की सचीप्रतिलिपी का छाया प्रति।
2. सरकारी मालगुजारी रसीद की छाया प्रति।
3. P.Suit No.23/1987 का आदेश फलक की सच्चीप्रतिलिपी की छाया प्रति।
   15/91
4. निवंधित पट्टा सं0–2000/87 की छाया प्रति।
5. खाता सं0–147 एवं 148 का खतियान की छाया प्रति।
6. P.L.JR 1988 Page No. 174 की छाया प्रति।
7. JLJR 2008(2) Page 19 की छाया प्रति।

उत्तरवादीगण का पक्ष

9.उतरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–चैनपुर थाना–चैनपुर जिला–गुमला अवस्थित खाता सं0–146,147 एवं 148 कुल रकबा–20.75 एकड़ भूमि से संबंधित है। प्रश्नगत भूमि का आर0 एस0 खतियान लेदु रौतिया वल्द बीरन रौतिया है। उत्तरवादीगण बसंती देवी वो प्रभा देवी का वंशावली निम्नवत् है:–

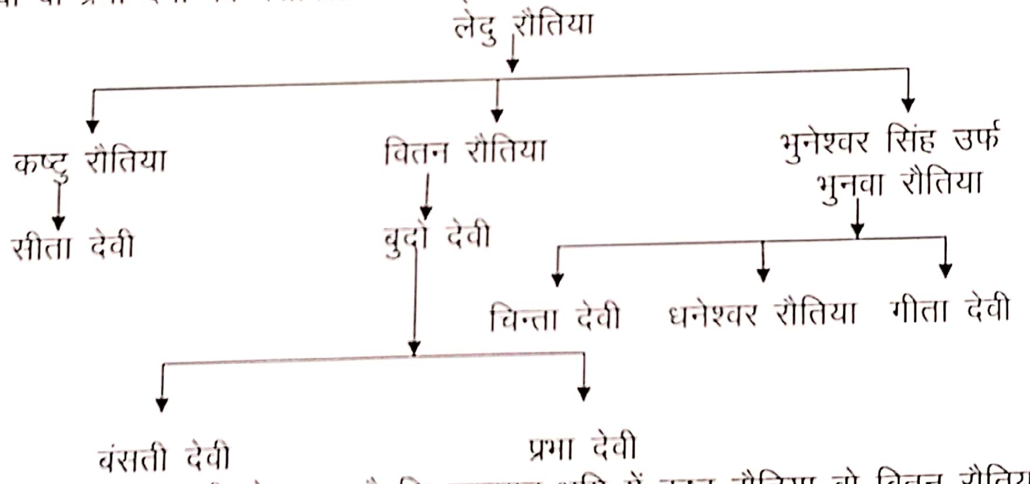

10 उपरोक्त वंशावली से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि में कष्टु रौतिया वो वितन रौतिया वो भुनेश्वर सिंह तीनों का 1/3, 1/3 हिस्सा होता है। वितन रौतिया के मृत्योपरांत प्रश्नगत खाता सं0–146,147, एवं 148 में 6.31 एकड़ अपने हिस्से की भूमि का दाखिल खारिज वाद सं0–01/1985–86 से बुदो देवी द्वारा दाखिल खारिज कराया गया। दाखिल खारिज के उपरान्त पंजी–ii Vol-ii पेज सं0–50 में बुदो देवी के नाम से जमाबंदी कायम हुई। दाखिल खारिज वाद सं0–01/1985–86 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अन्य हिस्सेदार कष्टु रौतिया एवं भुनेश्वर सिंह के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के समक्ष दाखिल खारिज अपील सं0–33/86 दायर किये।

11. दाखिल खारिज अपील वाद सं0–33/86 में कष्टु रौतिया वो भुनेश्वर रौतिया द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया था कि प्रश्नगत खाता की भूमि इजमाल है, तथा अंचल अधिकारी चैनपुर के द्वारा हिस्सा के आधार पर 1/3 भूमि की जमाबंदी कायम का क्षेत्राधिकार नही है। दाखिल खारिज अपील वाद सं0–33/86 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए अंचल अधिकारी चैनपुर को प्रश्नगत भूमि के दाखिल खारिज करने के पूर्व तीन

Scanned with OKEN Scanner

विकलपों के आधार पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया जो निम्नवत् है:–

(क) सभी पक्ष आपसी पंचायती बटवारा एवं सहमति के आधार पर पुनः नयी जमाबंदी कायम करने हेतु अंचलाधिकारी के पास आवेदन दें।

(ख) अथवा अंचलाधिकारी स्वंय स्थल जाँच कर दखल–कब्जा के आधार पर जमाबंदी बना कर अनुमोदनार्थ भेजें।

(ग) दोनों पक्ष सक्षम न्यायालय द्वारा बटवारा का फैसला प्राप्त कर ले तदनुसार अंचलाधिकारी जमाबंदी कायम कर दें।

12. प्रश्नगत आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी चैनपुर द्वारा तत्काल में कोई कार्यवाही सुनिश्चित नही की गई चूँकि बुदो देवी पति वितन रौतिया द्वारा मुकदमा 23/87 सब जज गुमला में दाखिल की। बटवारा मुकदमा को वितन

15/91

रौतिया अपने जीवन के अंतिम दिनों में स्वास्थ्य ठीक नही रहने के कारण न्यायालय नही जा सके। फलतः सब जज गुमला द्वारा बटवारा वाद सं0–23/87 को अदम पैरवी में (Dismiss for default) खारिज कर दिये। बटवारा वाद सं0–23/87 को न्यायालय द्वारा मेरिट में आदेश पारित नही किया गया था। प्रश्नगत खाता सं0–146,147 एवं 148 कुल रकबा– 20.75 एकड़ भूमि संयुक्त रह गई।

13. अपीलार्थीगण के पिता कष्टु रौतिया वो भुनेश्वर रौतिया द्वारा भी सक्षम न्यायालय में बंटवारा हेतु कोई वाद नही किया गया और न ही उक्त बटवारा वाद सं0–23/87 को दुबारा पूनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। दाखिल खारिज अपील वाद सं0–33/86 में पारित आदेश में प्रश्नगत खाता सं0–146, 147 एवं 148 की भूमि को संयुक्त माना गया था, परन्तु न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए कष्टु रौतिया ने अपने हिस्से की भूमि को निबंधित पट्टा सं0–2000/87 दिनांक–30.10.1987 से बखशीस अपीलार्थी के पति धनंजय सिंह के हित में कर दिये। कष्टु रौतिया अपीलार्थी के ससुर भुनेश्वर रौतिया द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0–33/86 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के समक्ष यह स्वीकार किया गया था कि प्रश्नगत भूमि इजमाल (संयुक्त) है। दाखिल खारिज अपील वाद सं0–33/86 में पारित आदेश के विपरीत जा कर दान पत्र निष्पादित किया जाना न्यायालय के आदेश की अवमानना के साथ धोखा–धड़ी है तथा Law of Estoppel के सिद्धांतो के विपरीत है।

14. अपीलार्थी कौशल्या देवी के पति धनंजय रौतिया धोखा–धड़ी करते हुए उत्तरवादीगण के वगैर जानकारी के दाखिल खारिज वाद सं0–145R27/2006–2007 में पारित आदेश के मुताबिक खाता सं0–146,147 एवं 148 की सम्पूर्ण भूमि 20.75 एकड़ भूमि का दाखिल खारिज करा लिए जिसमें उत्तरवादीगण बंसती देवी वो प्रभा देवी के हिस्से की 6.31 एकड़ भूमि भी शामिल थी। फर्जी–वाडा की जानकारी के पश्चात उत्तरवादीगण के द्वारा उपायुक्त गुमला को उपरोक्त तथ्य की लिखित जानकारी दी। उचित कार्यवाही हेतु अंचल कार्यालय चैनपुर को भेजा गया। अंचल अधिकारी चैनपुर के द्वारा विविध वाद सं0–26/2023 अभिलेख खोल कर प्रश्नगत मामले की सम्पूर्ण जाँचोपरान्त प्रश्नगत खाता सं0–146, 147, एवं 148 कुल रकबा–19.67 एकड़ भूमि में से 6.31 एकड़ भूमि का धनंजय रौतिया के नाम कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा कर उचित आदेश पारित करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता चैनपुर को अभिलेख प्रेषित कर दिये।

15. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता चैनपुर द्वारा विवधि वाद सं0–26/2023 में दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात धनंजय रौतिया के नाम दाखिल खारिज वाद सं0–145R27/2006–2007 को गलत पाया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता चैनपुर द्वारा उत्तरवादीगण के हित में प्रश्नगत भूमि कुल रकबा–6.30 एकड़ भूमि की

Scanned with OKEN Scanner

जमाबंदी कायम करने हेतु आदेश पारित किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला द्वारा पूर्व में दाखिल खारिज वाद सं0–33/86 में अंचल अधिकारी चैनपुर को तीन बिन्दुओं पर विचारण हेतु वाद Remand किये थे। अपीलार्थी का यह कथन कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता चैनपुर को दुबारा उक्त मामले की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नही था, जो बिलकुल गलत है।

उत्तरवादीगण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील वाद को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति संलग्न किया गया हैः–

1 JLJR 2009(2) की छाया प्रति।

उपरोक्त तथ्यों एवं दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुनने एवं समर्पित दस्तावेजों तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि का विवाद मूलतः अधिकार तथा Title से संबंधित है।

अपीलार्थी निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई भी ऐसा साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है, जिसे संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर उनके पक्ष में निर्णय लिया जा सके।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकृत किया जाता है।

अपीलार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय की शरण ले सकते है।

आदेश की प्रति निम्न अपीलीय न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संबंधित अंचल अधिकारी को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by KARN SATYARTHI
Date: 2024.08.05 17:25:13 +05:30
Location: 192.168.29.195

Scanned with OKEN Scanner